



सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

E-Mail ID:rajpr_dsplan@rediffmail.com

Tel & Fax : (O) 0141-2385027

क्रमांक:एफ.4()परावि/आप्र/ग्रा.पं.वि.यो.(GPDP)/2018-19/11

जयपुर, दिनांक: 03/01/2018

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद-समस्त।

विषय:-ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) 2018-19 के निर्माण हेतु माह जनवरी, 2018 तक विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन करने बाबत।

संदर्भ:-विभागीय पत्र क्रमांक:एफ.4()परावि/आप्र/ग्रा.पं.वि.यो./2018-19/1215
दिनांक: 06.12.2017

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार वर्ष 2018-19 की ग्राम पंचायत विकास योजना का निर्माण 31.03.2018 से पूर्व किया जाना है ताकि, अप्रैल, 2018 से यह योजना क्रियान्वयन हेतु उपलब्ध हो सके।

अतः समुदाय की जनसहभागिता के आधार पर ग्राम पंचायत की आवश्यकताओं एवं प्राथमिकताओं के प्रस्ताव लिये जाकर माह जनवरी, 2018 तक विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन कर, प्रस्तावों का अनुमोदन करवाकर ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) 2018-19 का निर्माण कर, समन्वित कार्य योजना बनवाना सुनिश्चित करें।


(नवीन महाजन)

शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग।
3. जिला कलक्टर, जिला-समस्त।
4. मुख्य आयोजना अधिकारी, जिला आयोजना प्रकोष्ठ-समस्त।
5. विकास अधिकारी, पंचायत समिति-समस्त।


संयुक्त शासन सचिव
(जिला आयोजना)